न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 117/2021

युवराज सिंह पुत्र श्री बिरिराज सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री विकास पोरवाल

दायरा दिनांक: 24.9.2021 निर्णय दिनांक : 9.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 169 खसरा नं0 80 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 80/586 रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम रीझियां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम युवराज पुत्र बिरिराज के स्थान पर नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम युवराज पुत्र बिरिराज है और वर्तमान समय में वादी युवराज बालिक है। जिसको वादी नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं के स्थान पर युवराज पुत्र बिरिराज दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि में युवराज पुत्र बिर्राज दर्ज हो रहा है एवं 8वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र एवं अन्य उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर वादी वर्तमान समय में बालिक हो चुका है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं के स्थान पर युवराज पुत्र बिंरिराज दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं के स्थान युवराज पुत्र बिरिराज दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.9.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/955 दिनांक 03.11.2021 के जिसके अनुसार कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह जाति राजपूत को युवराज पुत्र बिरिराज जाति राजपूत के नाम से भी जाना पहचाना जाता है

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

और वर्तमान समय में वादी बालिक हो चुका है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति कालूसिंह पुत्र बिरिराज जाति राजपूत व युवराज पुत्र बिरिराज जाति राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं के स्थान पर कालूसिंह उर्फ युवराज पुत्र बिरिराज सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व शुभमसिंह पुत्र रघुवीर जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ के आधार पर आराजी खाता संख्या 169 खसरा नं0 80 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 80/586 रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम रीझियां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम नाबालिक कालूसिंह पुत्र बिरिराज सिंह सरपरस्त दादा हनुमान सिहं के स्थान पर कालूसिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र बिरिराज सिंह दुरूस्त किये जाने और वादी को बालिक किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प जारेला मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल (जिला बारां राज०)

Scanned by CamScanner